भारत के दो टुकड़े नहीं होने दूँगा। यथासंभव मैं कांग्रेस को भी भारत का बँटवारा स्वीकार नहीं करने दूँगा।

2 अप्रैल को माउण्टबेटन से एक मुलाकात में महात्मा गाँधी ने व्यथित मन से कहा कि आप जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें, कम से कम इससे देश का विभाजन तो रुक जायेगा, परन्तु गाँधी जी के इस सुझाव का नेहरू और पटेल ने जमकर विरोध किया। गाँधीजी इससे इतने मर्माहत हुए कि इनकी अधिक जीने की इच्छा ही खत्म हो गई। गाँधीजी ने अकेले ही साम्प्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई जारी रखी। उनके इस प्रयासों की प्रशंसा में माउण्ट-बेटन ने उन्हें "वन मैन बाउंड्री फोर्स" कहा। अन्ततः महात्मा गाँधी ने भी देश में बह रही साम्प्रदायिकता की लहर से निराश होकर विभाजन को मान लिया।

भारत विभाजन की स्थिति में खान अब्दुल गफ्फार खान (बहादुर खान) ने घोषणा की कि उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत (N.W.F.P) स्वतंत्र प्रभुता सम्पन्न पख्तूनिस्तान बनेगा, क्योंकि वे पाकिस्तान में मिलना नहीं चाहते थे और कांग्रेस ने उन्हें भेड़ियों के आगे डाल दिया है।

14 अगस्त 1947 की रात पं० जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को सम्बोधित करते हुए कहा —

"वर्षों पहले हमने किस्मत के साथ बाजी लगाई थी, अब समय आ गया है कि हम अपनी प्रतिज्ञा को, पूरी तरह से और सही ढंग से हद तक पूरा करें। मध्यरात्रि में जब दुनिया सो रही होगी, भारत नयी जीवन स्वतंत्रता लेकर जागेगा। एक क्षण, जो इतिहास में विरले ही आता है, ऐसा होता है जब हम पुरातन से नूतन की ओर जाते हैं, जब एक युग समाप्त होता है, जब राष्ट्र की बहुत दिनों से दबी आत्मा को वाणी मिल जाती है। यह उपयुक्त है कि हम इस पवित्र क्षण में भारत तथा उसकी जनता की सेवा और उससे भी अधिक बड़े मानवता के उद्देश्य की पूर्ति के लिए जनता की सेवा और उससे भी अधिक बड़े मानवता के उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपने आपको अर्पित करें। आज हम एक दुर्भाग्यपूर्ण अवधि को समाप्त कर रहे हैं और भारत को अपने महत्व का एक बार फिर अहसास हो रहा है। आज हम जिस उपलब्धि को मना रहे हैं, वह निरंतर प्रयास की उपलब्धि है, जिसके परिणामस्वरूप हम उन प्रतिज्ञाओं को पूरा कर सके जिन्हें हमने कितनी बार किया है।"

जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री एवं लॉर्ड माउण्ट-बेटन प्रथम गवर्नर जनरल बने तथा पाकिस्तान के गवर्नर जनरल जिन्ना एवं प्रधानमंत्री लियाकत अली बनाये गये।

(समाप्त)

डॉ० राजू मोची
विभागाध्यक्ष- राजनीति विज्ञान
डी॰ के॰ कालेज, डुमराँव
दिनांक 03/09/2020

REDMI NOTE 6 PRO
MI DUAL CAMERA

माउण्टबेटन योजना (MOUNTBATTEN PLAN)

24 मार्च, 1947 को लार्ड माउण्टबेटन भारत के वायसराय बनकर आये। पद ग्रहण करते ही उन्होंने कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के नेताओं से तात्कालिक समस्याओं पर विचार-विमर्श किया। मुस्लिम लीग पाकिस्तान के अतिरिक्त किसी भी विकल्प पर सहमत नहीं हुई। माउण्टबेटन ने कांग्रेस से देश के विभाजन रूपी कटु सत्य को स्वीकार करने का अनुरोध किया। कांग्रेसी नेता भी परिस्थितियों के दबाव को महसूस कर सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गये। विभाजन को स्वीकार करने की कांग्रेसियों की विवशता सरदार पटेल के वक्तव्य से जाहिर होती है। इस सम्बन्ध में पटेल ने कहा, "यदि कांग्रेस विभाजन स्वीकार न करती तो एक पाकिस्तान के स्थान पर कई पाकिस्तान बनते।" सिक्खों ने भी इस योजना को अनमने ढंग से ही स्वीकृति दी। 18 मई 1947 को माउण्टबेटन समस्या के अन्तिम हल पर ब्रिटिश सरकार से बातचीत हेतु लंदन गये और पुनः भारत आने पर 3 जून 1947 को उन्होंने 'माउण्टबेटन योजना' जो जनसाधारण में 'मन बाटन' योजना के नाम से प्रसिद्ध है, प्रस्तुत मुख्य बातें इस प्रकार थी।

(i) वर्तमान परिस्थितियों में भारत के विभाजन से ही समस्या सुलझ सकती है। अतः हिन्दुस्तान को दो हिस्सों, भारतीय संघ और पाकिस्तान में बाँट दिया जाएगा, संविधान सभा द्वारा पारित संविधान भारत के उन भागों में लागू नहीं होगा जो इसे मानने के लिए तैयार नहीं है।

(ii) बंगाल, पंजाब एवं असम में विधान मंडलों के अधिवेशन दो भागों में किए जायेंगे एक भाग में उन जिलों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे जहाँ मुसलमानों की बहुलता है और दूसरे में उन जिलों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे जहाँ मुसलमान अल्पसंख्या में है। दोनों यह निर्णय स्वयं से लेंगे कि उन्हें भारत में रहना है या पाकिस्तान में।

(iii) उत्तर पश्चिम प्रांत में जनमत संग्रह द्वारा यह पता लगाया जायेगा कि किस भाग, भारत या पाकिस्तान, में रहना चाहते हैं।

(iv) असम के सिलहट जिले के लोगों की भी राय जानने के लिए जनमत संग्रह का सहारा लिया जायेगा।

(v) पंजाब, बंगाल एवं असम के विभाजन के लिए एक सीमा आयोग की नियुक्ति होगी, जो उक्त प्रान्तों की सीमा निश्चित करेगा।

(vi) देशी रियासतों से भी 15 अगस्त 1947 से ब्रिटिश सर्वोच्चता हट ली जायेगी तथा उन्हें भारत या पाकिस्तान में मिलने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी।

माउण्टबेटन योजना के आधार पर ही 'भारतीय स्वतंत्रता विधेयक' ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया गया जिसे 18 जुलाई को स्वीकृति मिली। इस विधेयक के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार थे :-

(i) [illegible]त्र के आधार पर भारत और पाकिस्तान नाम के दो अधिराज्यों को स्वतंत्र

REDMI NOTE 6 PRO
MI DUAL CAMERA

भारतीयों को आत्म निर्णय का अधिकार दिया जाएगा।

(ii) **ब्रिटिश राजनीतिज्ञों की घोषणाएँ** :- समय समय पर ब्रिटिश राजनीतिज्ञों की उदारवादी घोषणाओं ने भी स्वशासन की आशा में बैठे भारतीयों को युद्ध में ब्रिटेन की सहायता के लिए प्रेरित किया। ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की थी कि युद्ध निजी स्वार्थ के लिए नहीं लड़ा जा रहा है बल्कि दुनिया में लोकतंत्र की रक्षा और अन्तर्राष्ट्रीय अन्याय द्वारा छोटी जातियों को कुचले जाने से बचाने तथा दुनिया के लोगों को आत्म निर्णय का अधिकार दिलाने के लिए लड़ा जा रहा है।

(iii) **कांग्रेस पर उदारवादियों का नियंत्रण** :- युद्धकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर उदारवादियों का नियंत्रण था। ये उदारवादी नेता प्रारंभ से ही शांति तथा वैधानिक उपायों में विश्वास करते थे। सभी नेता लोकतंत्र में विश्वास करते थे और चूंकि अंग्रेजों ने यह घोषणा की थी कि इंगलैण्ड विश्व में लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए विश्वयुद्ध में प्रवेश कर रहा है, अतः इन लोगों ने समझा कि युद्ध की समाप्ति के बाद भारत में स्वशासन की स्थापना होगी।

(iv) **महात्मा गाँधी का प्रभाव** :- महात्मा गाँधी के प्रभाव से भी अंग्रेजों को युद्ध में सहायता दी। महात्मा गाँधी मानवतावादी थे। चूंकि यह युद्ध मानवता के हित के लिए लड़ा जा रहा था इसलिए उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया।

(v) **स्वशासन प्राप्ति की आशा** :- भारतीयों ने युद्ध में अंग्रेजों की सहायता की। इसका कारण यह था कि उन्हें आशा हो गई थी कि युद्ध के बाद उत्तरदायी सरकार अथवा स्वशासन प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार युद्ध में नैतिक मूल्यों के अनुमोदन और आत्मनिर्णय के सिद्धान्त ने भारतीय जनमत को बहुत ही प्रभावित किया।

भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन पर युद्ध का प्रभाव :- प्रथम महायुद्ध का भारतीय आंदोलन पर कई प्रभाव पड़े।

(i) **भारतीयों में नव चेतना का संचार** :- महात्मा गाँधी के विचारानुसार भारतीयों में नई आशा की लहर दौड़ पड़ी। भारतीय सैनिकों ने युद्ध में बहादुरी का परिचय दिया जिसका प्रभाव भारतीय जनता पर पड़ा। वह अपने देश को स्वतंत्र देखने के लिए उत्सुक हो उठी। मित्र राष्ट्रों ने घोषणा की कि वे लोकतंत्र की रक्षा तथा पराधीन राष्ट्रों को आत्मनिर्णय का अधिकार देने के लिए लड़ रहे हैं। इस घोषणा से भारतीयों को यह आशा बँध गई कि युद्ध के बाद भारत को स्वशासन का अधिकार मिल जाएगा।

(ii) **युद्धकाल में भारतीयों की दुर्बल तथा पराधीन राष्ट्रों की दुर्दशा** :- युद्धकाल में भारतीयों को दुर्बल तथा पराधीन राष्ट्रों की दुर्दशा देखने का अवसर मिला। उन्होंने स्वतंत्रता और स्वशासन के महत्व को समझा। अतः भारत भूमि को स्वतंत्र करने के लिए वे उत्कंठित हो उठे।

(iii) **गृहशासन आन्दोलन** :- गृहशासन आन्दोलन के लिए एक प्रकार की प्रेरणा भी युद्ध से ही मिली। आंदोलन के संचालक आशान्वित हो उठे थे कि ऐसे समय में आन्दोलन का फायदा मिलेगा।

REDMI NOTE 6 PRO
MI DUAL CAMERA